



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FY 533373

(प्रारूप "ब")

NOTARI
S. K. MAHABHANI

प्रदेश में स्थित सोसाइटी/ट्रस्ट जिसके द्वारा डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएं संचालित की जा रही हैं, अथवा सत्र 2023-24 से संचालित किये जाने का प्रस्ताव है के अध्यक्ष/सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रस्तुत किये जाने वाला नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप -

हम प्रशान्त वर्मा एवं शैखर वर्मा क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव रामगुलाम सेवा संस्थान ग्राम-बरियापुर, पोस्ट-बघौरा, तहसील-नवाबगंज, जिला-बाराबंकी पिन कोड-225412 शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा निम्न शिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है।

अंश 10 फार्मा

2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम निम्न विवरण के अनुसार भूमि उपलब्ध है -

क्रम संख्या	पता	गाटा संख्या	भूमि का रकबा	भूमि हेक्टेयर में।
1.	रामगुलाम सेवा संस्थान ग्राम-बरियापुर, पोस्ट-बघौरा, तहसील-नवाबगंज, जिला-बाराबंकी पिन कोड-225412	गाटा संख्या-1270क, 1270ख, 1271, 1275, 1276 व 1277	9110 वर्गमी०	0.911

3. यह कि उपरोक्त अनेक शिक्षण संस्थाओं को निम्न विवरण के अनुसार हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा भूमि आवंटित की गयी है-

क्रम संख्या	संस्था का नाम	आवंटित भूमि का पता	गाटा संख्या	रकबा	कुल भूमि
1	रामगुलाम सेवा संस्थान	ग्राम-बरियापुर, पोस्ट-बघौरा, तहसील-नवाबगंज, जिला-बाराबंकी पिन कोड-225412	गाटा संख्या-1270क, 1270ख, 1271, 1275, 1276 व 1277	9110 वर्गमी०	0.911००

उपरोक्त स्थिति सम्बंधित शिक्षण संस्थान के संचालन के प्रारम्भ के समय की है एवं इसमें कालान्तर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
गाटा संख्या, उपरोक्त विवरण में निम्नवत बदलाव किया गया है, और आज की तिथि में विवरण निम्नवत है-

क्रम संख्या	संस्था का नाम	पता	भूमि का विवरण	कुल रकबा	कुल भूमि
1	रामगुलाम सेवा संस्थान	ग्राम-बरियापुर, पोस्ट-बघौरा, तहसील-नवाबगंज, जिला-बाराबंकी पिन कोड-225412	गाटा संख्या-1270क, 1270ख, 1271, 1275, 1276 व 1277	9110 वर्गमी०	0.911००

6. यह कि भविष्य में यदि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा कोई नई भूमि कय की जाती है, तो उसका विवरण परिषद कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
7. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं, तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेंगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

प्रशासक
हो अध्यक्ष

शेखर
हो सचिव

